

निर्दिष्ट 4/9/19

16/9/19


FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम आठर
 आहार, जिला-जालौर (राज.) वनाम तुलसीदास वैश्य

जकराज किस्मत मुकदमा मूलवाद सु.नं. 60/17 नं. 48/19 रद 48/19
 को बरामद करे वाकत

तारीख हुकम	हुकम या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28/8/19	<p>वकील वारी हाथ एक जर्घवा-पत्र वाकत मूल वाद सु.नं 60/17 जकराज वनाम तुलसीदास के दिनेक 18-7-19 को कडम परबी में श्वादीन करे के फरसवरज्य पुनः बरामद करे हेतु यह जर्घवा-पत्र फेर बिगई जो को रजिस्टर होकर वारीन सुनवाई 16-9-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) आहार: जिला-जालौर (राज.) </p>	
4/9/19	<p>वकील वारी श्री के.राज कुमार जी की Urgent सुनवाई के प्रश्नो पत्र पर पत्रावली दिनांक 2/9/19 को तलक की गई एवं पत्रावली को डाकलेखने किया गया जो प्रायागि हुए बाद जकराज व तुलसीदास के दि. 18/7/19 को कडम परबी में श्वादीन कीया गया को फेर जीकित हेतु निवेदन करे हे। दिनांक प्रायः वकील को सुनी गया। प्रेसिडेंट बताया कि मूल वाद व साध</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्य वाही मय इनिशियल्स जज

212 डाक्टर (निवेदाता) को छात्रों
 का डाक्टर (निवेदाता) जरी हुई
 है, उसी को डाक्टर ने
 पक्ष आरक्षणी प्रतिसादा में
 अंतर्गत करने की पूर्ण आरक्षणी
 की आज पुनः प्रत्येक प्रकार
 जीवित रही होती है तो प्रत्येक
 को न्यायवादी नुकसान हो
 सकता है अतः पुनः शरण
 करवाया जावे आरक्षणी लक्षण
 प्रैरवी करते हुए समग्र
 या तलबाना / अमान / अद्वितीय
 पक्ष किये जायें, उस प्रकार
 खाते चुनने लकील प्रत्येक
 को ~~सहायक~~ सहायक प्रत्येक
 रिपनाथा जाकर प्रत्येक प्रकार
 60/17 अंतराल काम प्रत्येक
 को पुनः जीवित करते हुए
 नम्बर पर लने का आदेश
 दिया जाता है अतः प्रत्येक
 वाद अन्तिम ही नम्बर या
 दिया जावे प्रत्येक प्रत्येक
 शुभ्रा होकर दायित्व अन्तिम
 नम्बर में काम है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
 आहोर, जिला-जालोर (राज.)

